

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 237]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 24 मई 2017—ज्येष्ठ 3, शक 1939

पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मई 2017

क्र. एफ 5-2-2015-18-5.—मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 20 सन् 2004) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा लोकहित में सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में प्लास्टिक थैलियों के उत्पादन, भण्डारण, परिवहन, विक्रय और उपयोग पर इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से पूर्ण प्रतिबंध लगाती है.

F 5-2-2015-18-5.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Madhya Pradesh Jaiv Anaashya Apashishta (Niyantaran) Adhinyam, 2004 (No. 20 of 2004), the State Government, hereby, in the public interest completely ban the production, storage, transportation, sale and use of plastic carry bags in the entire State of Madhya Pradesh from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव शर्मा, अपर सचिव.